

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी

:::

सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं.

:::

55 / 2021

सरकार

बनाम

मदनसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति-राजपूत,
निवासी-काजड़ा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 20.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मदनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति-राजपूत, निवासी-काजड़ा द्वारा रोही मोजा बास गोकल कि राजकीय भूमि ख.नं. 131 के कुल रकबा 15.79 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गैर सायल ने अपना अतिक्रमण स्वीकार करते हुए अतिक्रमण हटाने बाबत 7 दिवस का समय चाहा है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 113/05.07.2021 से जांच भू.अ.नि. भावठडी से करवाई गई। भू.अ.नि. भावठडी द्वारा दिनांक 19.07.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उक्त गै.मु. जोहड़ की भूमि में गैर सायल का अतिक्रमण पाया गया। रिपोर्ट भू.अ.नि.भावठडी से अतिक्रमण की पुष्टी होती है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट हल्का पटवारी को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरुद्ध बेदखली आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० ४ के पृष्ठ सं० ०७ पर
दिनांक 20.07.2021 को सुनने पर
राजस्थान लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़